न्यायालय सिविल जज (अवर वर्ग)/एफ.टी.सी./ 14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।

राज्य बनाम कन्हैया आदि।

<u>आदेश</u>

अपराध संख्या–121/2025
अन्तर्गत धारा-413 IPC
थाना-एलाऊ, जिला- मैनपुरी

<u>06.08.2026</u>

1. अभियुक्त विमल कुमार पुत्र देवेंद्र की ओर से अपराध संख्या–121/2025, अन्तर्गत अन्तर्गत धारा-413 IPC थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी /अभियुक्त को गांव की पार्टीबंदी के कारण फंसाया गया है। अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध सत्र न्यायालय द्वारा परिक्षणीय बताया गया एवं जमानत का विरोध किया गया है।

4. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-413 IPC अपराध संख्या– 121/2025 थाना एलाऊ जिला मैनपुरी में प्रस्तुत किया गया है । प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक-04.08.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है । अभियुक्‍त अभियुक्त पूर्व में सत्र न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा हो चुका है। अतःमामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अधार पर्याप्त है।

6. अतः अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है ।

(आजम रहमानी)
सिविल जज अवर वर्ग/एफ.टी.सी./
14 वां वित्त आयोग, मैनपुरी ।